### चुनाव अत्यावश्यक

# राजस्थान सरकार सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विमाग

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांकः 10.04.2019

## -: आदेश:-

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव, 2019 के मतदान करने हेतु ऐसे कार्मिक जो अन्य राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है, मतदाता के रूप में पंजीकृत है, तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत है। ऐसे कार्मिकों को मतदान दिवस के अवसर पर उनके द्वारा (ऐसे मतदाता द्वारा) आवेदन करने पर सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर्स) को प्राधिकृत किया जाता है।

पुनर्मतदान की स्थिति में जहाँ पुनर्मतदान होगा, उस मतदान क्षेत्र / क्षेत्रों में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर्स) को अधिकृत किया जाता है।


राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(चन्दा लाल मीना) उप शासन सचिव

## प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
- 4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
- 5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 7. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र दिनांक 03.04.2019 के क्रम में।
- 9. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव गण।
- 10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- 11. समस्त जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) राजस्थान।
- 12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
- 13. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 14. पंजीयक, राजस्य मण्डल, अजमेर।
- 15. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
- 16. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
- 17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप-3) विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है।
- 18. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव



## मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:— लोकसभा आम चुनाव, 2019 —अन्य राज्यों के कार्मिकों को मतदान हेतु अवकाश दिए जाने बाबत।

प्रसंग:- भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 78/2019/EPS दिनांक 22-03-2019

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा यह निर्देश दिये हैं कि ऐसे व्यक्ति जो किसी लोकसमा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है, उस लोकसमा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के लोकसमा निर्वाचन क्षेत्र के उपक्रम/स्थापन में कार्यरत हो सकते हैं, उन्हें भी मतदान हेतु मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश दिया जावे।

सुलम संदर्भ हेतु भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/उपक्रमों/बोर्ड/निगमों आदि के विभागाध्यक्षों को निर्देशित करावें कि ऐसे कार्मिक जो अन्य राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है, तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत हैं, ऐसे कार्मिको को आवेदन करने पर मतदान हेतु मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश दिया जावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(डॉ० जोगा राम) अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।

सचिव,

सामान्य प्रशासन विभाग,

राजस्थान सरकार, जयपुर।

अ.शा.टीप क्रमांक प.8(2)(30)निर्वा./2017/3568

जयपुर, दिनांक ७-1449

3/6

By Speed post/camp bag

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001.

No.78/2019/EPS

Dated: 22<sup>nd</sup> March, 2019

To

- 1. The Chief Secretaries of All States and Union Territories.
- 2. The Chief Electoral Officers of All States and Union Territories
- 3. The Secretary to the Govt. of India, M/o Personnel Public Grivances & Pensions, Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi.

Sub: General Elections to Lok Sabha, 2019 and General Election to the Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim and Bye-elections to fill the clear vacancies in Assembly Constituencies of various States-Grant of Paid Holiday-regarding

Sir/Madam,

I am directed to invite your attention to Section 135 B of the Representation of the People Act, 1951 which provides for the grant of paid holiday to the employees on the day of poll. The Section 135B is reproduced below:-

### "135B. Grant of paid holiday to employees on the day of poll

- (i) Every person employed in any business trade, industrial undertaking or any other establishment and entitled to vote at election to the House of the People or the Legislative Assembly of a State shall, on the day of poll, be granted a holiday.
- (ii) No deduction or abatement of the wages of any such person shall be made on account of a holiday having been granted in accordance with sub-section (1) and if such person is employed on the basis that he would not ordinarily receive wages for such a day, he shall nonetheless be paid for such day the wages he would have drawn had not a holiday been granted to him on that day.

- (iii) If an employer contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2), then such employer shall be punishable with fine, which may extend to five hundred rupees.
- This section shall not apply to any elector whose absence may cause danger or substantial loss in respect of the employment in which he is engaged."
- The above provisions require that all establishments and shops including those which work on shift basis shall be closed on the day of poll in the Constituency where a General/bye-election is to be held. However, there may be cases where a person is ordinarily resident of the Constituency and registered as an elector, may be serving/employed in an industrial undertaking or an establishment located outside the constituency having a general/bye-election. It is clarified that in such a situation, even those electors including casual workers working outside the constituency concerned would be entitled to the benefit of a paid holiday extended under Section 135B(1) of the Representation of the People Act, 1951.
- The daily wage/causal workers are also entitled for a holiday and wages on poll day as provided in Section 135B of the R.P. Act, 1951:
- The Commission desires that suitable instructions should be issued to all concerned <u>for the phase-wise election schedules</u>, as mentioned in the Commission's Notifications under endorsement to the Commission for information and goodd.
- The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

(SANJEEV KUMAR PRASAD)
UNDER SECRETARY